भास्कर वर्मा
सदस्य सचिव
**BHASKAR VERMA**
**Member Secretary**
फोन / Phone : 011-23073837
ई–मेल / E-mail : ms-nma@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
**Government of India**
**Ministry of Culture**
**National Monuments Authority**

अ.शा. **संख्या 27-03/एनएमए-2025/न्यायालय** (सी.सं.426) **दिनांक: 10.07.2025**

मैं, डब्ल्यू.पी. संख्या 9010/2025 (श्री डेनिस क्रस्टा बनाम भारत संघ एवं अन्य) के संदर्भ में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2025 को जारी निदेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ। ये निदेश, प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) के अंतर्गत निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य पूर्व अनुमति के बिना, केंद्रीय संरक्षित स्मारक के आसपास निर्माण हेतु नगर निगम द्वारा अनाधिकृत अनुमति प्रदान करने के मामले में दिए गए थे।

2. माननीय न्यायालय ने अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को क्षति, विरूपण, विनाश आदि से बचाने के लिए राज्य के संवैधानिक दायित्व पर बल देते हुए, राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग को निदेश दिए हैं कि वह स्थानीय नागरिक प्राधिकरणों के संबंधित अधिकारियों को नामित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में और उसके आसपास निर्माण की अनुमति देने से रोकने के लिए एक परिपत्र जारी करें। परिपत्र में यह भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि इस निदेश का किसी भी तरह से उल्लंघन किए जाने पर जिम्मेदार अधिकारी व्यक्तिगत रूप से विभागीय जांच के लिए उत्तरदायी होंगे।

3. उपरोक्त के आलोक में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नामित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध (100 मीटर) या विनियमित (200 मीटर) क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत निर्माण या विकास गतिविधि की अनुमति नहीं है। निर्माण अनुमति प्रदान करने संबंधी किसी भी आवेदन पर विचार करने से पहले, संरक्षित स्मारक की सीमा से प्रस्तावित निर्माण स्थल की दूरी का सटीक सत्यापन किया जाना चाहिए और संबंधित एएसआई सर्कल से पुष्टि प्राप्त की जानी चाहिए, और आवेदक को एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) की धारा 20सी के तहत, जहाँ भी लागू हो, आवेदन करने का निदेश दिया जाना चाहिए। यदि निर्माण स्थल प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्रों में आता है, तो नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति जारी किए बिना कोई अनुमोदन या मंजूरी प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निदेश जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानीय निकाय/नगर निगम/शहरी विकास प्राधिकरण इस कानूनी आदेश का कड़ाई से पालन करें।

भवदीय,

(भास्कर वर्मा)

सेवा में,
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिव।
शहरी विकास विभाग